



-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 30.12.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 10.50 ग्राम रसैक (अनुमानित कीमत करीब 2,10,000/- रुपये)

अवगत कराना है कि श्रीमानपुलिसउपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा”—“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त निकेश पुत्र राजेश निवासी ग्राम नगला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को गोगा जी म्हाडी जनता रोड के समाने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 10.50 ग्राम अवैध रसैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 690/25 धारा 8/210 एनडीपीएस एकट के पंजीकृत किया गया॥ अभियुक्त उपरोक्त के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंकों की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

निकेश पुत्र राजेश निवासी ग्राम नगला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 10.50 ग्राम रसैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण:-

- उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
- है0का0 1084 विक्की थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
- है0का0 1105 गौरव राणा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
- है0का0 973 मोहित कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिस अपराधियों गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातर संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नानौता श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.12.2025 को मुख्यिम की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त जुबैर पुत्र साकिर निरोगी ग्राम तुरमतखेड़ी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को औलरा रोड कुतुबपुर पुलिया से गंगोह रोड की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जुबैर उपरोक्त के कब्जे से 24 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु00030339/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुबैर पुत्र साकिर निवासी ग्राम तुरमतखेड़ी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदी का विवरण:-

24 पव्वे देशी शराब यूपी मार्क

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु000303373/2017 धारा 25 शस्त्र अधिरोगी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- मु00030387/2021 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- उ0निरोगी श्री नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा पेड़ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की करीब 09 कुंटल लकड़ी (पोपलर/युकोलिप्टिस) व एक टेम्पो, 10,000/- रुपये नकद, अवैध असलाह/कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 15.12.2025 को वादी श्री गौरव कुमार वन रक्षक वन क्षेत्र उग्राहू थाना गागलहेड़ी सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 13/14-12-2025 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम समाज भूमि उग्राहू के जंगल से प्रतिबन्धित प्रजाति खेर के 09 पेड़ों को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 400/25 धारा 303(2) बीएनएस व 4/10 भारतीय वन अधिनियम पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरा मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित शातिर चोर/अभियुक्तगण** 1. शमीम पुत्र शकील निवासी ग्राम खेड़ली थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड व 2. तनवीर पुत्र जुलिफ्कार निवासी खेड़ली थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को ग्राम छपरेड़ी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से पोपलर/युकोलिप्टिस की लकड़ी वजन करीब 09 कुंटल, 01 टेम्पो बिना नम्बर, 10,000/- रुपये नकद, 01 तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 चाकू बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 422/25 धारा 3/4/25 आम्स्र एकट व 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मात्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग जंगलों से चोरी छिपे पेड़ों का कटान कर चोरी कर ले जाते हैं अभी इसी महीने 13/14.12.25 तारीख की रात को हम लोगों ने उग्राहू के जंगल से पेड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था तथा आज हम लोग अपने टेम्पो में चोरी की लकड़ी जो हम लोगों ने गांव खेड़ली से नवादा जाने वाले रास्ते पर जंगलों से लकड़ी चोरी की थी उसको बेचने के लिए ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- शमीम पुत्र शकील निर्माण खेड़ली थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
- तनवीर पुत्र जुलिफ्कार निर्माण खेड़ली थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार

बरामदगी का विवरण -

- 09 कुंटल लकड़ी- पोपलर/यूकोलिप्टिस (सम्बन्धित मु030सं0 400/25 धारा 303(2) बीएनएस व 4/10 भारतीय वन अधिनियम थाना गागलहेड़ी)
- 01 टैम्पू बिना नम्बर
- 10000/- रुपये नकद
- 01 अदद तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त शमीम उपरोक्त के कब्जे से)
- 01 अदद चाकू नाजायज (अभियुक्त तनवीर उपरोक्त के कब्जे से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
2. उ0नि0 सौरभ यादव थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
3. उ0नि0 शिवकुमार थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
4. है0का0 342 आशीष कुमार थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
5. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।



दिनांक: 30-12-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ	पुलिस	अधीक्षक	जनपद	सहारनपुर,	उत्तर	प्रदेश
--------	-------	---------	------	-----------	-------	--------

थाना बेहट पुलिस द्वारा कैन्टर/ट्रक चोरी की घटना में 03 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 190 सिंगल हुक, 11 डबल हुक, 28 पंजी, 05 छोटी बड़ी साँकल, 08 सरिया, 05 जेनरेटर के स्टैण्ड, 01 छोटा जेनरेटर, 16 छोटी बड़ी मशीन व 02 आधार कार्ड बरामद

अवगत कराना है कि वादी श्री अब्दुल कादिर पुत्र यासीम निवासी इन्द्रा कलोनी कस्बा बेहट थाना बेहट पर उपस्थित आकर दिनांक 05/06.12.2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी का कैन्टर नं- UP11DT 7605 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0300सं- 617/25 धारा- 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.12.25 को मुख्यिक विकास की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कैन्टर चोरी की घटना में 03 वांछित चोर अभियुक्तगण 1- कलीम उर्फ आरिफ पुत्र यासीन निरो मोहल्ला रुकन्दी सराय थाना नखासा जिला सम्भल, 2- महबूब पुत्र भोला निवासी ग्राम मढन थाना अस्मौली जिला सम्भल व 3- सैफ पुत्र नईम निवासी मौहल्ला करस्सावान थाना शाहबाद जिला रामपुर को ग्राम पिठौरी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर दिनांक 05/06.12.25 की रात्रि में चोरी किये गये कैन्टर में भरा माल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए करते हुए अभियुक्तगण को मारो न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगों ने दिसम्बर महीने के शुरू में कस्बा बेहट से एक कैन्टर चोरी किया था और कैन्टर में भरे माल को जंगल के खण्डहर में छिपा दिया गया था तथा कैन्टर को महबूब द्वारा पलवल में ले जाकर बेच दिया था। अभियुक्तों से गहन पूछताछ पर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने पहले भी एटा जिले से एक कैन्टर चोरी किया था। आज हम लोग माल को उठाने के लिये आये थे तो आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1- कलीम उर्फ आरिफ पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला रुकन्दी सराय थाना नखासा जिला सम्भल
- 2- महबूब पुत्र भोला निवासी ग्राम मढन थाना अस्मौली जिला सम्भल
- 3- सैफ पुत्र नईम निवासी मौहल्ला करस्सावान थाना शाहबाद जिला रामपुर

बरामदगी का विवरण

- 190 सिंगल हुक
- 11 डबल हुक
- 28 पंजी

- 05 छोटी बड़ी साँकल
- 08 सरिया, 05 जेनरेटर के स्टैण्डॉ
- 01 छोटा जेनरेटर
- 16 छोटी बड़ी मशीन
- 02 अदद आधार कार्ड

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कलीम उर्फ आरिफ उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 609/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद एटा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त महबूब उपरोक्त

2. मु0अ0सं0- 609/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद एटा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1759 सावन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1802 बिदू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

सहारनपुर, उत्तर

प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.11.2025 को वादिया/पीडिता द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त सुलेखचन्द्र द्वारा वादिया को शादी का ज्ञांसा देकर दुष्कर्म करना व अन्य अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु696 0सं0अ0/ धारा 25 69/61(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुलेखचन्द्र पुत्र यशपाल निवासी गांव सोराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर को ग्राम सोराना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

सुलेखचन्द्र पुत्र यशपाल निवासी गांव सोराना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- उ0नि0 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
- है0का0 1041 सोहित कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर



दिनांक 30.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 ग्राम रसैक (कीमत करीब 5,00,000 रु0/-) व नगद 540 रु0 बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.12.2025 को गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को मरकज मर्झिजद के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25 ग्राम रसैक व 540 रुपये नकद बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 631/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एकट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंकों की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिलशाद पुत्र शमशाद निरीक्षक कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 25 ग्राम अवैध रसैक
- 540 रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।